

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 027/2023 (GCMS 2023/87)	दायर दिनांक 10.03.2023	निर्णय दिनांक 28.03.2023
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

संजय कुमार पिता लालचन्द छाबडा निवासी छाबडा भवन हाट चौक रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9414377226)

अपीलार्थी**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./027/2023(सू.अ.) (28.03.2023)/221 दिनांक 10.03.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 28.03.2023 को अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहें एवं उनके प्रतिनिधि हाजिर आये एवं वांछित सूचना आज



दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/36 दिनांक 28.03.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री संजय कुमार पिता लालचन्द छाबडा निवासी छाबडा भवन हाट चौक रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 25.01.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/विधि/प. 16-5/सू.का.अ/2023/227 दिनांक 14.02.2023 से प्राप्त की गई जिसका प्रतिलिपि शुल्क इस कार्यालय में जमा करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए///लोसूअ/2023/26 दिनांक 16.02.2023 से प्रार्थी को लिखा गया, परन्तु आदिनांक शुल्क जमा नहीं कराया गया है।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा नियत प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं करवाकर प्रार्थी द्वारा सीधे ही श्रीमान् को प्रथम अपील प्रस्तुत कर दिये जाने से अपील प्रथम दृष्टया खारीज योग्य हैं
4. प्रार्थी द्वारा वांछित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने पर सूचना विधिवत् उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ



प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पास उपलब्ध है जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जाकर अपीलार्थी को नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 द्वारा प्रावधित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध कराई गई है जिसे अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार देय शुल्क जमा करा प्राप्त कर सकता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 20.01.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 25.01.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.03.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)